न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर

1– लाखन तनय नंदकिशोर यादव ,

निबासी ग्राम अनंतपुरा , तहसील एवं जिला टीकमगढ़ म0 प्र0

2– अनिता पत्नि कमलेश कुमार जैन

निबासी महावीर स्कूल के पास, टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ म0प्र0

.....आवेदकगण

वनाम

म0प्र0 शासन द्वारा तहसीलदार टीकमगढ़ ..... अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदकगण यह निगरानी न्यायालय श्रीमान तहसीलदार टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र0 क0 59/अ–6/2010–11 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 17/10/2012 से परिवेदित होकर कर रहे हैं। जो समय सीमा में न होने से धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदनपत्र संलग्न है। माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, ग्राम अनंतपुरा तहसील एवं जिला टीकमगढ़ स्थित भूमि खसरा नंबर 547 रकवा 0.316 है0 जो आवेदक कमांक एक को 1987 में पटटा पर प्राप्त हुई थी, जो तभी से उसके नाम भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज चली आ रही है। जिसके संबंध में एक शिकायत मंटू नामक ब्यक्ति द्वारा तहसीलदार टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत की, जिसके आधार पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण में आवेदक क0 एक का पक्ष सुने बगैर ही तथा आवेदिका क0 02 को नोटिस जारी किये बगैर ही म0 प्र0 शासन दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। जिससे परिवेदित होकर य निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

निगरानी के आधार

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 118 –दो/2016 जिला –टीकमगढ़

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश लखन लाल आदि विरूद्ध शासन	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18.1.16	आवेदक के अधिवक्ता उपस्थित होकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टीकमगढ जिला टीकमगढ़ के प्र0 क0 59/अ–6/10–11 में पारित आदेश दिनांक 17.10.12 के विरूद्ध इस न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की गई है निगरानी के साथ धारा –5 का आवेदन मय शपथपत्र के प्रस्तुत किया है । 2–आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपने आवेदनपत्र में लेख किया है कि, ग्राम अनंतपुरा तहसील एवं जिला टीकमगढ स्थित भूमि खसरा नंबर 547 रकवा 0.316 हैक्टर जो आवेदक कमांक एक को 1987 में पटट्ा पर प्राप्त हुई थी, जो तभी से उसके नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज चजी आ रही है । जिसके संबंध में एक शिकायत मंटू नामक व्यक्ति द्वारा तहसीलदार टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत की, जिसके आधार पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण में आवेदक कमांक–1 का पक्ष सुने बगैर ही तथा आवेदिका कमांक–2 को नोटिस जारी किये बगैर ही म0 प्र0 शासन दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया । 3– आवेदकगण के अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत तर्को का श्रवण किया । निगरानी के साथ प्रस्तुत धारा–5 म्याद अधिनियम का	

आवेदनपत्र का प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया। धारा–5 म्याद अधिनियम के आवेदनपत्र विलंब का कारण समाधानप्रद होने से निगरानी सीमा मान्य की जाती है ।

4– निगरानी के साथ प्रस्तुत तहसीलदार टीकमगढ़ के आदेश दिनांक 17.10.12 का अवलोकन किया गया तथा साथ में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने पर यह तथ्य सामने आया कि वादग्रस्त भूमि आवेदक कमांक–1 लाखन लाल के नाम से खसरा पांचसाला में वर्ष 1988 से लगातार वर्ष 2012 तक राजस्व रिकॉर्ड में भूमिस्वामी के रूप में दर्ज है। आवेदक द्वारा उपरोक्त भूमि के खसरा पांचसाला की प्रमाणित प्रतिलिपियों की छाया प्रतियां प्रस्तुत की है। आवेदक द्वारा अपनी निगरानी के साथ अपर कलेक्टर टीकमगढ द्वारा शिकायतकर्ता मंटू द्वारा ही प्रस्तुत निगरानी प्रकरण कमांक 161/निगरानी/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 8.06.2011 की प्रतिलिपि प्रस्तुत की है, जिसका मेरे द्वारा अवलोकन किया गया। अपर कलेक्टर के यहां निगरानी भी उपरोक्त वादग्रस्त भूमि की अवैध प्रविष्ट करने विषयक ही है। जिसमें वही आधार लिया गया था, जो तहसीलदार के यहां प्रस्तुत आवेदन पत्र में लिया गया था। उपरोक्त निगरानी अपर कलेक्टर द्वारा निरस्त कर दी गई है, अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 8.6.2011 के उपरांत तहसीलदार द्वारा उपरोक्त प्रश्नाधीन आदेश पारित किया है। जिससे स्पष्ट होता है कि तहसीलदार द्वारा वरिष्ठ न्यायालय के आदेश को नजर अंदाज करके आदेश पारित किया है । आदेश से अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा ना तो प्रकरण का स्थल निरीक्षण किया है, ना ही पटवारी द्वारा प्रतिवेदन लेना पाया जाता है। आवेदक कमांक–1 द्वारा अपने जबाव में लेख किया है

कि उसे भूमि पटट्ा पर प्राप्त हुई थी, इसकी भी कोई जांच नहीं की गई। यदि आवेदक पटट्ा प्रस्तुत नहीं कर सकता था तो अधीनस्थ न्यायालय को पटवारी से प्रकरण की वस्तु स्थिति में संबंध में प्रतिवेदन लेना था। तहसीलदार द्वारा उपरोक्त कार्यवाही संहिता की किस धारा के तहत की गई है, यह भी आदेश के अवालेकन से स्पष्ट नहीं है। क्योंकि तहसीलदार को पटट्ा निरस्त करने की अधिकारिता नहीं है, ना ही उन्हें 26 साल पुराने नामांतरण को निरस्त करने की अधिकारिता है ।

5– अतः उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में निगरानी स्वीकार की जाती है । तहसीलदार टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 59/अ–6/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 17.10.2012 निरस्त किया जाता है, तथा निर्देशित किया जाता है कि ग्राम अनंतपुरा स्थित भूमि खसरा न0 547 रकवा 0.316 पर आवेदक क्रमांक–1 लाखनलाल का नाम पूर्ववत दर्ज किया जावे। उभयपक्ष सूचित हों। प्रकरण दा0 द0 हो।

सदस्य